# न्यायालय अन्तर्गत अनुमंडल पदाधिकारी,राजमहल

अनुसूचि 14 फार्म सं0–162

सुकरा पहाडिया
बनाम
16 आना रैयत
मौजा–टुटी न0 18P

## आदेष–फलक

देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक तारिख.............................................जिला–साहेबगंज

केस के प्रकार–धारा – प्रधान बहाली वाद संख्या 48/2019-20

| आदेशकी कम सं0 और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी और तारी सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 17.8.19 | अंचल अधिकारी, तालझारी के पत्रांक 560/रा0 दिनांक 14.08.2019 के द्वारा मौजा– टुटी, न0–18P के रिक्त ग्राम प्रधान के पद पर प्रधान बहाली हेतु जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। मौजा के 16 आना रैयतो से अनापत्ति आमंत्रित हेतु विधिवत् नोटिस निर्गत किया गया।<br>अवलोकन किया। जाँच प्रतिवेदन के साथ मौजा– टुटी, न0–18P में दिनांक 14.07.2019 को श्री गुलो पहाडिया के अध्यक्षता में मौजा के 16 आना रैयतों के उपस्थिति में प्रधान बहाली से संबंधित ग्राम सभा की गई। जिसकी प्रति संलग्न। ग्राम सभा में उपस्थित सभी ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से सुकरा पहाडिया, पिता–मन्नु पहाडिया, ग्राम– टुटी, को मौजा– टुटी, न0–18P में प्रधान के रुप में चाहते है तथा प्रधान बहाल होने का प्रस्ताव रखा।<br>अंचल अधिकारी, तालझारी ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि मौजा– टुटी, न0–18P प्रधानी व चिरागी मौजा है। जिसमें प्रधानी पद रिक्त है। मौजा के ग्राम प्रधान नियुक्ति हेतु एक ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सुकरा पहाडिया पिता–मन्नु पहाडिया, ग्राम–टुटी, थाना–तालझारी, जिला–साहेबगंज को प्रधान के रुप में चयन किया गया है।<br>सुकरा पहाडिया साक्षर व्यक्ति है। अतएव सुकरा पहाडिया प्रधान बनने योग्य है।<br>अतएव अंचल अधिकारी, तालझारी के जाँच प्रतिवेदन एवं मौजा के 16 आना रैयतों के आपत्ति के अभाव में आवेदक सुकरा पहाडिया को मौजा– टुटी, थाना न0–18P, में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 05 के अन्तर्गत प्रधान के पद पर नियुक्त किया जाता है। कबुलियत दाखिल करें। तत्पश्चात पट्टा निर्गत किया जायेगा।<br>आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, तालझारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।<br>लेखापित एवं संशोधित।<br>अनुमंडल पदाधिकारी<br>राजमहल।<br>अनुमंडल पदाधिकारी,<br>राजमहल। | |

ज्ञापांक 423/रा0
दिनांक 31.8.19

Scanned with CamScanner